उत्तर प्रदेश काँस उत्पादन अधिनियम, 1951

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1951 ई0)

UTTAR PRADESH KANS ERADICATION ACT, 1951

(U.P. Act No. XXII of 1951)

उत्तर प्रदेश काँस उत्पादन अधिनियम, 1951[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1951 ई०]

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 6 सितम्बर, 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 सितम्बर, 1951 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 3 अक्टूबर, 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 अक्टूबर, 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कांस घास के उत्पादन के निमित्त व्यवस्था करने का

अधिनियम

क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कांस घास के उत्पादन के निमित्त व्यवस्था करना आवश्यक है ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन अधिनियम, 1951 ई० होगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उस दिनांक[2] से प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में विषय और प्रसंग के विपरीत न होने पर ––

(क) "कांस उत्पादन क्रिया" का तात्पर्य ऐसी क्रिया से है, जिसे कांस अधिकारी, कांस के नाम से प्रसिद्ध–घास के उत्पादन के लिए, आवश्यक समझें ;

(ख) "कांस क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है, जिसे राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति द्वारा कांस से आकान्त (इंफेस्टेड विथ कांस) क्षेत्र प्रख्यापित करे ;

(ग) "कांस अधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है और उसके अन्तर्गत कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी है, जो राज्य सरकार अथवा कांस अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के अधीन दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, अधिकृत किया जाय ;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा नियत से है ;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

कांस क्षेत्र का प्रख्यापन

3–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई क्षेत्र कांस से आक्रान्त है, तो वह सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का पूरा विवरण

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 4 सितम्बर, 1951 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

2. विज्ञप्ति संख्या सी–5128/II–ए, दिनांक 29 अक्टूबर, 1951 ई० के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

देकर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, उस क्षेत्र को कांस क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति का प्रकाशन, ऐसे सब व्यक्तियों के प्रति, जो उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि या भूमियों के स्वामी हों अथवा उसमें हित रखते हों, उक्त विज्ञप्ति में लिखे हुए तथ्यों के विषय में पर्याप्त सूचना होगी ।

धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति का निरसन

4–यदि कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति से तीस दिन के भीतर कोई आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत करे कि कांस क्षेत्र या उसका कोई भाग, ऐसे कारणों से, जिन्हें आपत्ति करने वाला उल्लिखित करेगा, कांस उत्पादन क्रिया के निमित्त लेने योग्य नहीं है, तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, उक्त विज्ञप्ति को कुल क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में निरस्त कर सकती है । यदि उक्त निरसन कुल क्षेत्र के सम्बन्ध में हो, तो उक्त क्षेत्र कांस क्षेत्र न रहेगा और यदि वह क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में हो तो उक्त भाग उक्त कांस क्षेत्र के अन्तर्गत न रहेगा ।

माप करने और कांस उत्पादन क्रिया करने का अधिकार

5–(1) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के बाद, और यदि कोई आपत्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई हो, तो उक्त आपत्ति के निस्तारण के बाद, काँस अधिकारी, उसके अधीनस्थों अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत श्रमिकों के लिए निम्नलिखित वैध होगा :–

(क) काँस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि मे प्रवेश करना, उसका माप करना और उसका समतल लेना ;

(ख) उक्त भूमि के अन्तस्तल (सब–सॉयल) को खोदना या उसमें बेधन (बोर) करना ;

(ग) काँस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की सीमाओं को निश्चित करना ;

(घ) उक्त भूमि में कांस उत्पादन क्रियाओं के निमित्त आवश्यक सभी काम करना।

(2) काँस उत्पादन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाला कार्य, धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जायगा ।

(3) जब किसी कांस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त भूमि पर कांस उत्पादन क्रिया समाप्त हो जायगी, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में उक्त आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी। उसके उपरान्त कांस उत्पादन क्रिया के विषय में यह समझा जायगा कि वह समाप्त हो गयी और वह क्षेत्र उस दिनांक से कांस क्षेत्र नहीं रहेगा ।

स्वामी और दूसरे व्यक्ति क्रिया में बाधा न करेंगे

6– (1) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि का स्वामी या उसमें हित रखने वाला कोई व्यक्ति, कांस उत्पादन की अवधि के भीतर उक्त भूमि पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कांस उत्पादन क्रिया में कोई बाधा या विघ्न पड़े ।

(2) यदि कोई व्यक्ति कांस उत्पादन क्रिया में विघ्न या बाधा डालेगा, तो अपराधी निर्णीत होने पर उसे ऐसा अर्थ–दंड दिया जायगा, जो एक हजार रूपये से अधिक न होगा।

(3) कांस अधिकारी कांस उत्पादन क्रिया से सम्बद्ध सभी व्यय का हिसाब नियत रीति से रखेगा और उक्त हिसाब उसमें लिखित सभी तथ्यों के प्रमाण के रूप में लिया जा

सकेगा और उसके विरूद्ध कोई आक्षेप किसी वाद या अन्य विधिक व्यवहार (सूट आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) में नहीं किया जा सकेगा ।

कांस क्रिया का व्यय

7–(1) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि पर कांस उत्पादन क्रिया में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय (जिसे इस अधिनियम में आगे चल कर कांस क्रिया व्यय कहा गया है), उस भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार, जहां से कांस उत्पादन किया गया है, कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि या भूमियों के स्वामियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनका इसमें या इनमें हित हो, कांस अधिकारी द्वारा न्याय संगत रूप से, विभाजित कर दिया जायगा । कांस अधिकारी, उक्त प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति द्वारा देय धनराशि को निश्चित करेगा और इस प्रकार निश्चित धनराशि तत्संबंधी भूमि पर भार (चार्ज) होगी । उक्त प्रकार निश्चित धनराशि के विषय में कोई आक्षेप किसी वाद या अन्य विधिक व्यवहार (सूट आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) कांस अधिकारी यह भी निश्चित करेगा कि उपधारा (1) के अधीन विभाजित धनराशि, उक्त भूमि के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक मूठ (इन वन लम्प सम) या वार्षिक किस्तों में दी जायगी और यदि वह वार्षिक किस्तों का आदेश दे तो वह किस्तों की धनराशि और संख्या को भी निश्चित करेगा ।

(3) कांस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर, जो उस भूमि का स्वामी हो या उसमें हित रखता हो, जिसमें कांस उत्पादन क्रिया की गयी हो, मांग की एक ऐसी सूचना तामील करायेगा जिसमें उसके द्वारा देय कांस उत्पादन क्रिया का व्यय और वह अवधि जिसमें उक्त व्यय दिया जायगा, लिखे होंगे । यदि वह व्यक्ति, जिसके ऊपर उक्त सूचना तामील की गयी हो, मांगी हुई धनराशि न दे या कोई किस्त देने मे चूक जाय, तो उक्त धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में (ऐज एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू) वसूल की जा सकेगी ।

कांस भूमि को वापस करना

8–धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना में निर्दिष्ट कांस उत्पादन क्रिया के व्यय के देने अथवा उसकी वसूली पर, अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन निश्चित वार्षिक किस्तों में उसको देने के लिये प्रतिज्ञापत्र (बांड) के लिख दिये जाने पर, काँस अधिकारी उक्त स्वामी या व्यक्ति को कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि वापस कर देगा ।

क्षति के लिए प्रतिकर

9–(1) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर धारा 5 के अधीन की गयी कांस उत्पादन क्रिया के कारण किसी वृक्ष, फसल या दूसरी वस्तु के, जो नियत की जाय, विनाश या क्षति के निमित्त और उक्त धारा के अधीन प्रविष्ट (एण्टर्ड अपान), कृष्ट भूमि (कल्टिवेटेड लैन्ड) की फसल की हानि के लिये, प्रतिकर के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(2) ऐसा प्रार्थना–पत्र आने पर कांस अधिकारी नियत रीति से ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हो और ऐसी प्रतिकर की धनराशि दे सकता है जो ठीक और उचित प्रतीत हो । प्रतिकर देने की कांस अधिकारी की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (फाइनल एन्ड कान्क्लूसिव) होगी ।

अनुपालन कराने का कांस अधिकारी का अधिकार

10–कांस अधिकारी ऐसे कार्य कर सकता है या करा सकता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो उसकी राय में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के लिये उचित रूप से आवश्यक हों ।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति जनसेवक होंगे

11–ऐसे व्यक्तियों के विषय में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य करें, यह समझा जायगा कि वे इंडियन पीनल कोड, 1860 में दिये गये उस शब्द के तात्पर्य के अनुसार जनसेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) हैं।

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा

12–किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (सूट, प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिंग्स) निर्दिष्ट (इन्स्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे ।

समर्पण

13–राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) को, इस अधिनियम के अधीन मिले हुए किसी अधिकार को, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन उपयोग में लाने के लिये समर्पण (डेलीगेट) कर सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

14–(1) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियम में निम्नलिखित के संबंध मे व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) धारा 3 के अधीन प्रकाशनीय विज्ञप्ति का आकार–पत्र (फार्म) और प्रकाशन की रीति ;

(ख) रीति जिसके अनुसार धारा 4 के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जायगी और सुनी जायगी ;

(ग) रीति जिसके अनुसार और विषय जिसके संबंध में धारा 4 के अधीन जांच की जायगी ;

(घ) धारा 5 के प्रयोजनों के निमित्त कांस उत्पादन क्रियाओं की योजना तथा कार्यक्रम ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन विज्ञप्ति का आकार–पत्र ;

(च) स्थिति जिसके अधीन तथा प्रयोजन जिसके निमित्त धारा 6 के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

(छ) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन हिसाब र;ाने से संबंधित विषय ;

(ज) रीति जिसके अनुसार धारा 7 के अधीन कांस उत्पादन क्रिया के व्यय अवधारित तथा विभाजित किये जायेंगे और दिये जायेंगे ;

(झ) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की पैदावार या उपज की विक्रय आय से यदि कोई हो कांस उत्पादन क्रिया के व्यय को संधानित करना (ऐडजस्ट) ;

(ञ) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना का आकार–पत्र और वह रीति जिससे उसकी तामील की जायगी ;

(ट) धारा 7 के अधीन लिखे जाने वाले प्रतिज्ञा–पत्र (बांड) का आकार–पत्र ;

(ठ) धारा 8 के अधीन प्रतिकर अवधारण के निमित्त विचारणीय विषय ;

(ड) धारा 8 के अधीन प्रतिकर के सम्बन्ध में व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके सम्बन्ध में अपील ;

(ढ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बद्ध किसी विषय में कांस अधिकारी और अन्य अधिकारियों का सामान्य पथ–प्रदर्शन (गाइडेंस) ।